

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 587 सन 2018

अनवान :-

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट थोरी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

बनाम

वादी

1. रामस्वरूप पुत्र भादररराम जाति जाट थोरी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट थोरी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 31/12/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 169/98 की कुल 6.2490 हैक् भूमि जो पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भादररराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो जाने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई जिन्होंने खाता विभाज करवाने पर वाद भूमि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 169/98 की कुल 6.2490 हैक् भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आई है अर्थात् विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भादररराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इस प्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 के एनएन के खाता संख्या 169/96 की कुल 6.2490 हैक्ठु भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काशतकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



*A. Anand*  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official